न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
395/2024

दायर दिनांक
02.07.2024

निर्णय दिनांक
12/9/2024

उनवान

1. नन्दसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

-- प्रार्थी

बनाम

1. बालुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षीगण

उपस्थित:– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्रवण कुमार सेन
2. विपक्षी संख्या 01 उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 862/1 रकबा 0.2181 हैक्टेयर भूमि स्थित है एवं विपक्षी संख्या 01 की राजस्व ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में आराजी नम्बर 862 रकबा 0.0727 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात के मूल आराजी नम्बर 862 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि अन्य आराजी नम्बर 855/2. 852/2, 852, 853, 855, 2293/826 के साथ बालुसिंह पिता भंवरसिंह, नन्दसिंह पिता सांतवसिंह राजपूत निवासी आरजिया के शामताली रूप में दर्ज थी, शामलाती भूमि का खातेदारो द्वारा आपसी सहमती व रजामंदी से विभाजन किया जिसमें आराजी नम्बर 855/1, 862, 853 कुल किता 03 तीन कुल रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा 19 बिस्वांसी भूमि बालुसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत के खाते में रखी गई, आराजी नम्बर 852, 852/2, 2293/826, 862/1, 855/2, 855 कुल किता 06 छः कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा 10 भूमि नन्दसिंह पिता सांवतसिंह राजपूत के खाते में रखी गई, आराजी नम्बर 862 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का विभाजन अनुसार आराजी नम्बर 862 रकबा 05 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि बालुसिंह के खाते में एवं 862/1 रकबा 17 बिस्वा 05 बिस्वांसी भूमि नन्दसिंह के खाते में रही, जिसका कब्जा अनुसार एवं राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम भी कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर अंकित किये उसमें आराजी नम्बर 862 के स्थान पर आराजी नम्बर 862/1 अंकित कर दिया एवं आराजी नम्बर 862/1 के स्थान पर आराजी नम्बर 862 अंकित कर दिया, उक्त त्रुटि विभाजन प्रस्ताव बनाते समय, राजस्व नक्शे में नम्बर अंकित करते समय हुई है, जो कि एक लीपिकिय त्रुटि एवं भूल वश हुआ है, जिसको दुरस्थ कराने का प्रार्थी अधिकारी है, जिसके लिए यह आवेदन प्रस्तुत है।

उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 862 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का विभाजन अनुसार प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में दी गई आराजी नम्बर 862/1 रकबा 17 बिस्वा 05 बिस्वा भूमि है एवं विपक्षी संख्या 01 एक के हिस्से व कब्जे में दी गई आराजी नम्बर 862 रकबा 05 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि है, जिसको राजस्व नक्शे में तरमीम कर, नम्बरो को स्थापित किये, उसमें आराजी नम्बर 862 के स्थान पर, आराजी नम्बर 862/1 अंकित कर दिये, आराजी नम्बर 862/1 के स्थान पर, आराजी नम्बर 8621 अंकित कर दिये जो कि जो कि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रकबे के मुकाबले में एवं राजस्व नक्शे की तरमीम में काफी भिन्नता है, जिसकी जानकारी सीमाज्ञान करवाने पर हुई, उक्त त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने जाने हेतु तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा के यहाँ आवेदन किया. जिसे जॉच हेतु पटवारी हल्का के पास भेजा गया किन्तु पटवारी हल्का ने उक्त त्रुटि को दुरस्थ करने हेतु मना कर दिया व न्यायालय आदेश से दुरस्थ करने की हिदायत दिनांक 17.06.2024 दी गई, जिससे प्रार्थी की और से विपक्षीगण के विरूद्ध राजस्व नक्शे में नम्बर दुरस्थी की जाने हेतु प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बायत् राजस्व नक्शे में नम्बर दुरस्थी कराये जाने का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एक की ग्राम आरजिया प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 862 के स्थान पर आराजी नम्बर 862/1 एवं आराजी नम्बर 862/1 के स्थान पर आराजी नम्बर 862 प्रस्थापित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित। जिसने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति प्रकट की है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि ग्राम आरजिया के आराजी नम्बर 862/1 का रकबा 0.2181 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि राजस्व नक्शें में इसका क्षैत्रफल 0.0727 हैक्टेयर है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 862 का रकबा 0.0727 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि राजस्व नक्शें में इसका क्षैत्रफल 0.2181 हैक्टेयर है। अतः राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व नक्शें में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। ग्राम आरजिया के आराजी नम्बर 862/1 रकबा 0.2181 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी होकर इस आराजी के राजस्व नक्शें का क्षैत्रफल 0.0727 हैक्टेयर है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 862 रकबा 0.0727 हैक्टैयर भूमि विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी होकर इस आराजी के राजस्व नक्शें का क्षैत्रफल 0.2181 हैक्टेयर है। अतः राजस्व नक्शें में 862/1 के स्थान पर आराजी नम्बर 862 की तरमीम की जानी है एवं आराजी नम्बर 862 के स्थान पर आराजी नम्बर 862/1 की तरमीम की जानी है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 862 के राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 862/1 दुरूस्ती की जावें एवं आराजी नम्बर 862/1 के राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 862 दुरूस्ती की जावें। यानि राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 862 के स्थान पर आराजी नम्बर 862/1 एवं आराजी नम्बर 862/1 के स्थान पर आराजी नम्बर 862 राजस्व नक्शें में प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व नक्शें में दुरूस्ती से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अ[illegible]थ)

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा